फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

वादी/प्रार्थी- लीलाकंवर पत्नि अमरसिंह राजपूत नि० भीनमाल तह० भीनमाल

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी- शंभुसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत नि० भीनमाल तह० भीनमाल

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर- 06/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
23/5/18	प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री नगाराम पुरोहित द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा.का. विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 5/7/2018 को पेश हो । [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर भीनमाल	
5.7.18	प्रार्थीया आज उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त नहीं इन्तजार होकर मिशल तारीख 12.7.18 को पेश हो आज श्रीमान A.C.सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से मिशल नियत तारीख 12/7/18 को पेश हो।	
12/7/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। आज A.C. साहब मीटिंग जालोर पधारे हैं अतः मिशल उनके समक्ष ता. 18.7.18 को पेश हो।	
18/7/18	वकुलाय फरीकैन हाजिर। आज श्रीमान A.C.सा. बाहर पधारे हुए हैं मिशल तारीख 30/8/18 को पेश हो।	शम्भुसिंह हाजिर
30/8/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित आज A.C. साहब बाहर पधारे हैं। अतः मिशल उनके समक्ष ता. 9-10-18 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

23.07.15	वकुलाथ कर्मिन उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। मामले मे अस्थाई निषेधाज्ञा ता. फैसला वाद हैकर्ड न नीके की स्थिति दोनों पक्षकारान यथावत बनाए रखने की जारी की जाती है नियत	

लीलादेवी बनाम रामसिंह

किस्म मुकदमा प्रा धी क 53 प्रकरण संख्या 06 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता[illegible] अहमकाम ज[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
	निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर, भीनमाल	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या–06/2018

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
लीलाकंवर पत्नी अमरसिह जाति राजपुत निवासी भीनमाल		1 शंभूसिह पुत्र अमरसिह 2 छैलसिह पुत्र करणसिह 3 गुलाबसिह पुत्र करणसिह 4 मोहनकंवर बेवा करणसिह 5 भीकसिह पुत्र करणसिह 6 आसंकवर बेवा सोहनसिह जातियान राजपुत निवासीगण भीनमाल 7 शाखा प्रबधंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीनमाल 8. भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल 9. शाखा प्रबंधक स्टेट आफ इण्डिया शाखा भीनमाल 10. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण शाखा प्रबंधक भीनमाल 11. उप पंजीयक भीनमाल जिला जालोर

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 23.5.19

प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 तक का रिश्ता माता–पुत्र को सजरे में वर्णित करते हुए सरहद मौजा भीनमाल बी के पुराने खसरा नम्बर 1341,1343,1344,1340 रकबा 56 बीघा 15 बिस्वा स्थित थी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2292,2293,2294,2295,2296,2300 व 2301 जुमले रकबा 10.56 हैक्टर सृजित किये गये, सर्वप्रथम भू प्रबंन्ध के दौरान प्रार्थीया के ससुर समरथसिह पुत्र खुमसिह के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि समरथ सिह के स्वर्गवास होने के पश्चात वारिसान अमरसिह सोहनसिह व करणसिह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि स्वः अमरसिंह जो प्रार्थीया का पति है, के 1/3 हिस्से की खातेदारी समरथसिह के फौत होने पर दर्ज हुई, ततपश्चात प्रार्थीया के पति भी फौत हो गये और अमरसिह के फौतगी नामान्तरणकरण संख्या 644 को खोलते वक्त पटवारी हल्का द्वारा उनके दो पुत्र शम्भुसिह व किशोरसिह का नाम दर्ज कर दिया, जो गलत किया जबकि वास्तव में प्रार्थीया का नाम भी स्वः अमरसिह के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रार्थीया स्वःअमरसिह की पत्नि है तथा उक्त आराजी पुश्तैनी है। जिसमें स्वः अमरसिह की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर अप्रार्थी 1 शम्भुसिह,स्वःकिशोरसिह व प्रार्थीया का नाम बतौर उत्तराधिकारी के दर्ज किया जाना आवश्यक था, उसके पश्चात स्वः किशोरसिह लाऔलाद फौत हो गये तब भी प्रार्थीया का नाम किशोरसिह के उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण संख्या 587 खोला गया,

Scanned by CamScanner

जो एकमात्र शम्भुसिह के नाम दर्ज किया गया, जबकि प्रार्थीया का भी माता की हैसियत से खातेदारी में नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था इस प्रकार प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से मे अप्रार्थी संख्या 1 के साथ हिन्दु उत्तराधिकारी के खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारी है। मौके पर वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के 1/2 हिस्से पर यानि कुल आराजी के 1/6 हिस्से पर प्रार्थीया बहैसियत खातेदार के काबिज होकर निरतंर व निर्बाध रूप से काश्त करती आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी की धमकीया दी जा रही है एवं आराजी को बैचान अन्तरण कर प्रार्थीया को आराजी से बैदखल करने की कोशिश की जा रही है अतएवं वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया काबिज है एवं काश्त करती आ रही है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित है। साथ ही वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीया के कब्जे काश्त से बैदखल करने की कोशिश अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की जा रही है। यदि अप्रार्थी संख्या 1इस कृत्य को करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपुरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपया पैसों से किया जाना असम्भव है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के 1/2 हिस्से पर यानि कुल आराजी के 1/6 हिस्से पर प्रार्थीया बहैसियत खातेदार के काबिज होकर निरंतर व निर्बाध रूप से काश्त करती आ रही है। जिससे सुविधा का सन्तुल भी प्रार्थीया के पक्ष में है। फलस्वरूप माफिक इस्तदुआ अस्थाई निषेधाज्ञा मुल वाद के निस्तारण तक सादिर फरमाई जावे।

अप्रार्थी 1 की और से जबाव प्रस्तुत कर उल्लेख किया की प्रार्थीया के द्वारा अदालत हाजा में एक दावा बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश नहीं कर प्रार्थीया के द्वारा एक वाद खातेदारी हक का प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा सजमें रिश्तों को दर्शित किया गया है। जिसमे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का माता पुत्र होने का बताया है जो गलत होने से अस्वीकार है व उल्लेख किया कि सजरे में रोशन प्रार्थीया लीलाकवंर व अप्रार्थी संख्या 1 शम्भुसिह का प्रार्थीया के साथ पुत्र का रिश्ता है। प्रार्थीया संख्या 1 का पिता अमरसिह के फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा पुर्ण रूप से जांच कर उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 शम्भुसिह व किशोर सिह नाम दर्ज कर दिया गया है। किशोरसिह के फौत होने पर प्रार्थीया की सहमति से शम्भुसिह का नामान्तकरण दर्ज किया गया। प्रार्थीया की उम्र 82 वर्ष है प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर पर किसी प्रकार की काश्त नही करती है ना ही मौके पर कब्जा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीया का केवल एक ही पुत्र है। प्रार्थीया की लम्बी उम्र होने से मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं है। तथा प्रार्थीया के पुत्र शम्भुसिह के साथ निवास कर रही है। प्रार्थीया का तमाम भरण पोषण खर्च भी शम्भुसिह द्वारा किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी सामलाती है। प्रार्थीया द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के हक में साबित नही है अतएवं प्रार्थीया का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एंव प्रकरण का अवलोकन किया गया वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 1341,1343,1344 और 1340 सिमरथसिह पुत्र खुमसिह कौम राजपुत की खातेदारी में दर्ज थी। सिमरथसिह के स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसान अमर सिह ,सोहनसिह व करणसिह के नाम खातेदारी जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुई।

Scanned by CamScanner

स्व:अमरसिह प्रार्थीया के पति फौत होने पर जरिये नामान्तकरण 644 पटवारी हल्का द्वारा अमरसिह के उत्तराधिकारी पुत्र शम्भुसिह व किशोरसिह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा उक्त खातेंदारी राजस्व रेकार्ड में शम्भुसिह किशोरसिह पि अमरसिह सोहनसिह , करणसिह पि सिमरथसिह कौम राजपुत के खातेदारी दर्ज रही । अमरसिह के फौतदगी नामान्तरकरण के दौरान उनके पुत्र शम्भुसिह,किशोरसिह पि अमरसिह का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् नवीन भु प्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 2292,2293,2294,2295,2296,2300 व 2301 कुल रकबा 10.56 हैक्टर सृजित हुए और राजस्व रेकार्ड में शम्भुसिह, किशोरसिह पि. अमरसिह ,करणसिह पि. सिमरथसिह राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा जमाबन्दी सवंत 2052 से 55 में शम्भुसिह, किशोरसिह पि. अमरसिह, करणसिह पुत्र सिमरथसिह, भीखसिह पुत्र सोहनसिह व आसकंवर बेवा सोहनसिह कोम राजपुत के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा जमाबन्दी सवतं 2056 से 2059 एंव 2060 से 2063 में शम्भुसिह, किशोरसिह पि. अमरसिह छैलसिह गुलाबसिह पि. करणसिह, मोहनकवंर बेवा करणसिह भीखसिह पुत्र सोहनसिह आसकवंर बेवा सोहनसिह कौम राजपुत खातेदारी दर्ज रही नामान्तरकरण सख्या 587 अनुसार किशोरसिह के नाऔलाद फौत होने पर उसके भाई के नाम उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ, जिसके तहत जमाबन्दी सवंत 2064 से 2067 व 2068 से 2071 व 2072 से 75 में शम्भुसिह वल्द अमरसिह छैलसिह, गुलाब सिह पि. करणसिह मोहनकवंर बेवा करणसिह भीखसिह पुत्र सोहनसिह व आसकंवर बेवा सोहनसिह कोम राजपुत के नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी रही चुकि: संवत 2024 से 2027 की जमाबन्दी सिमरथ सिह वल्द खुमसिह कोम राजपुत के नाम राजस्व रेकार्ड मे पुराने खसरा नम्बरान की दर्ज थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान अमरसिह, सोहनसिह व करणसिह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा अमरसिह के दैहान्त पर जरिये नामान्तकरण 644 के उनके पुत्र शम्भुसिह व किशोरसिह के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात् किशोरसिह के नाऔलाद फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण 587 के उसके भाई शम्भुसिह के नाम दर्ज हुई इनमें अमरसिह की पत्नी प्रार्थीया लीलाकंवर का नाम बतौर उत्तराधिकारी दर्ज नही हुआ, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में बनता है। चुंकि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थीया द्वारा 1 वाद बाबत खातेदारी हक की घोषणा एव स्थाई निषेद्याज्ञा का पेश किया है जो लम्बित है तथा उक्त प्रकरण में जबाव दावों के पश्चात तनकीयात कायमी के बाद साक्ष्यों के पश्चात ही मामले का विधि के अनुरूप विनिश्चय होगा, ऐसी स्थिति में उक्त वाद के निस्तारण में समय लग सकता है अतएंव इस दरम्यान वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण आदि न हो तथा इस वजह से अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढे, इस हेतु ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा भीनमाल बी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2292,2293,2294,2295,2296,2300,2301, कुल रकबा 10.56 हैक्टर की राजस्व रेकार्ड एंव मौके की स्थिति को दोनो पक्षकारान यथावत बनाए रखेंगें तथा वादग्रस्त आराजी का अप्राथी संख्या 1 किसी प्रकार से बैचान अथवा हस्तान्तरण नहीं करेगें व न किसी से करायेगें।

सहायक निर्णय आज दिनांक 23.9.15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner